

कार्यालय-डॉ. रविकान्त सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र.)

:: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष, 2024 ::

(अन्तर्गत धारा 14 एवं 15 द.प्र.सं.)

क्रमांक 104/सीजेएम/2024

देवास, दिनांक 10.04.2024

मैं डॉ. रविकान्त सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 एवं 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के पालन में तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के स्थानांतरण एवं नवीन पदस्थापना होने के कारण पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित (**Supersede**) कर, संशोधन करते हुए जिला देवास में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार अधिकार क्षेत्र आवंटित करते हुए जिला देवास से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में विधिवत् संज्ञान लेने एवं समस्त अनुषंगिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

यह कार्य विभाजन आदेश प्रसारित होते ही तत्काल प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम/पद	प्रकरणों का स्वरूप एवं क्षेत्राधिकार
1	डॉ. रविकान्त सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म.प्र.)	<p>1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास द्वारा अंतरित मामले।</p> <p>2 आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन औद्योगिक क्षेत्र, यातायात, जी.आर.पी. देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के मामले एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामले छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>3 आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन, औद्योगिक क्षेत्र, देवास से संबंधित म.प्र.आबकारी विभाग से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>4 आबकारी वृत्त, देवास से संबंधित म.प्र.आबकारी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>5 सम्पूर्ण जिला देवास से संबंधित खारिजी प्रकरण एवं जिला मुख्यालय देवास के समस्त थाना क्षेत्रों के एफ.आर. प्रकरण (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर)</p> <p>6 जिला देवास की राजस्व तहसील टोकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगाँव, सतवास, हाटपीपल्या को छोड़कर समस्त जिले के निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न दांडिक प्रकरण - A ड्रग्स + कार्मेटिक अधिनियम B खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 C दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 D नापतौल अधिनियम से संबंधित मामले।</p> <p>7 जिला देवास से संबंधित श्रम विभाग से उत्पन्न होने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।</p> <p>8 नगर निगम, देवास द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दांडिक मामलों की समस्त कार्यवाहियों।</p> <p>9 कृषि उपज मंडी अधिनियम से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण।</p>

		10	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवास द्वारा मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
		11	सम्पूर्ण जिले से उद्भूत ऐसे ओवर लोडिंग के समस्त प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जिनमें एक धारा में 10,000/- रुपये से अधिक के जुर्माना से दण्डनीय होने वाले प्रकरणों का विचारण।
		12	सम्पूर्ण देवास जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लम्बित प्रकरणों से संबंधित धारा 410 द.प्र.स. के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		13	वन परिक्षेत्र, देवास (मुख्यालय) द्वारा भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the Special Tiger Strike force units को छोड़कर) एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दंडिक प्रकरण। नोट- (Forest laws and Mining Laws के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेण्डम क्र. सी/1864 /111-6-6-90 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 में दिये गये निदेशानुसार कार्य विभाविज किये गये)
		14	पुलिस थाना कोतवाली, सिविल लाईन, बी.एन.पी., औद्योगिक क्षेत्र, नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयागंज मण्डी से संबंधित भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।
		15	पुलिस थाना कोतवाली, सिविल लाईन, बी.एन.पी. औद्योगिक क्षेत्र, नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयागंज मण्डी से उद्भूत होने वाले Environment (Protection) Act, 1986 से संबंधित परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		16	जिला मुख्यालय देवास से (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर) संबंधित म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समस्त दंडिक प्रकरण।
		17	जिला मुख्यालय देवास से (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर) उत्पन्न एवं प्रस्तुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।
		18	सम्पूर्ण देवास जिला से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियाँ।
		19	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322, 325 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण।
		20	जिला देवास से उद्भूत अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरण व अन्य ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवंटित नहीं किया गया है।
2	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामलें।
		2	आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की

		समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ. आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
		5 आरक्षी केन्द्र बैंक नोट प्रेस, सिविल लाईन देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद।
	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद पंचायत, देवास	म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र क्र. 17(ई) 43/2009/21-बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील देवास की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, देवास तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी।
3	सुश्री अंजना यादव, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, जिला देवास	1 सम्पूर्ण जिले से उद्भूत होने वाले किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण।
4	सुश्री दीक्षा दोहरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामलें।
5	श्री कुँवर युवराज सिंह सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले। 2 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा जिला देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं अन्य प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र। 3 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच। 4 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र। 5 आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा एवं औद्योगिक क्षेत्र, देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य

			प्रायवेट परिवाद।
6	सुश्री रश्मि खुराना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामलें।
		2	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
		5	आरक्षी केन्द्र विजयागंज मंडी, कोतवाली देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद।
7	श्री प्रियांशु पाण्डे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी, एफ.आर. एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
		5	आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद।
		6	जिला मुख्यालय देवास के (तहसील न्यायालय सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद एवं खातेगाँव को छोड़कर) क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
		7	माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ जबलपुर के मेमो No. Reg (IT)(SA)/2022/1450 Jabalpur, Dated 17-11-2022 And Ref. NO. Registry memo no. Reg. (IT)(SA)/2022/753, Dated: 16-06-2022 and memo no. Reg. (IT)(SA)/2022/1238, Dated: 29-09-2022 के आलोक में

			वर्चुअल कोर्ट्स के कार्य संपादन हेतु पूर्व में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास को अधिकृत किया गया था। वर्तमान में कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास के स्थान पर श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास को वर्चुअल कोर्ट्स के कार्य संपादन हेतु अधिकृत किया जाता है।
8	श्रीमती किरणसिंह, प्रथम तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	महिला पुलिस थाना, देवास एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक नोट प्रेस, नाहर दरवाजा देवास एवं थाना बरोठा, विजयागंज मण्डी से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं द.प्र.सं. की धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
9	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
10	श्री सौरभ जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास के अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्याया., कनिष्ठ खण्ड देवास एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।

तहसील स्थापना सोनकच्छ

11	कृ. स्वाति बजाज, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के अतिरिक्त न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, अपराधों का संज्ञान, एफ.आर. (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र
		3	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ. आर.।

		6	न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
		7	न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज, मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		8	न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
		9	न्यायालय सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण।
12	सुश्री निकिता पवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, भौरासा एवं पीपलरावों से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ एवं एफ.आर., (खारिजी मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, भौरासा एवं पीपलरावों के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं आरक्षी केन्द्र भौरासा, पीपलरावों से उद्भूत धारा 125 से 128 द. प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
		4	आरक्षी केन्द्र भौरासा एवं पीपलरावों जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		5	आरक्षी केन्द्र भौरासा एवं पीपलरावों से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र।
		6	आरक्षी केन्द्र भौरासा एवं पीपलरावों जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ.आर.।
तहसील स्थापना टोंकखुर्द			
13	श्री बुदेसिंह सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौरासा से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, एफ.आर. एवं

		प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	3	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौरासा जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
	4	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौरासा जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
	5	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौरासा जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ.आर.।
	6	न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
	7	न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज, मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
	9	न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
	10	न्यायालय टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
14	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द, जिला देवास	1 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
	2	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरावाँ एवं भौरासा से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, एफ.आर. एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों। (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	3	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरावाँ एवं भौरासा से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. (खारिजी को छोड़कर)।
	4	आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरावाँ एवं भौरासा

	के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
5	आरक्षी केन्द्र पीपलरावां एवं मक्सी जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
6	आरक्षी केन्द्र पीपलरावां एवं मक्सी जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफआर.।
7	आरक्षी केन्द्र पीपलरावां एवं मक्सी जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ.आर.।

तहसील स्थापना बागली

15 श्री राकेश कुमार जाटव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
	2	आरक्षी केन्द्र बागली से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	3	आरक्षी केन्द्र बागली जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
	4	आरक्षी केन्द्र बागली जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं अन्य प्रायवेट परिवाद पत्र, एफआर.।
	5	आरक्षी केन्द्र बागली जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
	6	तहसील न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एकट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एकट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
	7	तहसील न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्द्रल एक्साईज, मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
	8	तहसील न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
	9	तहसील न्यायालय बागली के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त

			थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
16	श्रीमती सरिता पारस, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र हाटपीपल्या जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ. आर.।
17	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र बागली, हाटपीपल्या एवं उदयनगर से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. (खारिजी को छोड़कर)।
		3	आरक्षी केन्द्र बागली, हाटपीपल्या, उदयनगर के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं धारा 125 से 128 द.प्र.स. से संबंधित समस्त प्रकरण।
18	सुश्री आयुषी मालवीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र उदयनगर से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र उदयनगर जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र उदयनगर जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।

		5	आरक्षी केन्द्र उदयनगर जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
तहसील स्थापना कन्नौद			
19	श्रीमती मीना शाह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र कन्नौद से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र कन्नौद जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र कन्नौद जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र कन्नौद जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		6	न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
		7	न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्सआईज, मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		8	न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
		9	न्यायालय कन्नौद के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
			न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जनपद पंचायत कन्नौद

			अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, कन्नौद तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी।
20	सुश्री नंदिता उईके, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र कन्नौद, कौटाफोड़ एवं सतवास से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. (खारिजी को छोड़कर)।
		3	आरक्षी केन्द्र कन्नौद, कौटाफोड़ एवं सतवास से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
21	श्रीमती सोनाली शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र कौटाफोड़ से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर., अपराधों का संज्ञान एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर)
		3	आरक्षी केन्द्र कौटाफोड़ जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र कौटाफोड़ जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र कौटाफोड़ जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
22	श्री कुंदन कछवाह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र सतवास से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र सतवास जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र सतवास जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त

			अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र सतवास जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
तहसील स्थापना खातेगाँव :			
23	श्रीमती राधा उईके, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र खातेगाँव, नेमावर, हरणगाँव से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. (खारिजी को छोड़कर)।
		3	आरक्षी केन्द्र खातेगाँव, नेमावर, हरणगाँव से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों के आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. एवं अपराधों का संज्ञान (खारिजी को छोड़कर) एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं. से संबंधित समस्त प्रकरण।
		4	आरक्षी केन्द्र नेमावर जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		5	आरक्षी केन्द्र नेमावर जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		6	आरक्षी केन्द्र नेमावर जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ.आर.।
24	श्री पंकज सविता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र खातेगाँव से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियों, एफ.आर. एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र। (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर)
		3	आरक्षी केन्द्र खातेगाँव जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र खातेगाँव जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र खातेगाँव जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ.आर.।

		6	न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ़ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, 1994 से संबंधित प्रकरण।
		7	न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधी विभाग, Environment (Protection Act) 1986, नाप-तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेंद्रल एक्साईज, मेटल हेल्थ से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		8	न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत Lynching & Mob violence से संबंधित प्रकरण।
		9	न्यायालय खातेगाँव के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त थानों से उद्भूत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
25	श्री राजू पन्दे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगांव, जिला देवास	1	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा अंतरित मामले।
		2	आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद एवं प्रायवेट प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियाँ, एफ.आर. (खारिजी एवं महिलाओं के विरुद्ध कारित मामलों को छोड़कर) एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		3	आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव जिला देवास से संबंधित धारा 176 (5) एवं 176 (1-ए) द.प्र.स. 1973 के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों की जाँच।
		4	आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव जिला देवास से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग-पत्र एवं परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र नेमावर व हरणगाँव जिला देवास के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य प्रायवेट परिवाद व एफ.आर.।

नोट : कमांक-1

:: धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियाँ ::

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के धारा-164 की उपधारा (5-क) द. प्र.स. के अन्तर्गत उल्लेखित एवं पॉक्सो अधिनियम में विचारणीय अपराधों के कथनों को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में धारा-164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु

निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन लिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.	मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकारी (आरक्षी केन्द्र)
1	श्री कुँवर युवराज सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	अ- थाना बैंक नोट प्रेस से उद्भूत मामले। ब- थाना कोतवाली, सिविल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, बरोठा से उद्भूत ऐसे अपराध जिनके अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
2	सुश्री रश्मि खुराना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना बरोठा, विजयागंज मण्डी से उद्भूत मामले
3	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	अ-थाना नाहर दरवाजा से उद्भूत मामले। ब-पुलिस थाना बी.एन.पी., नाहर दरवाजा, विजयागंज मंडी से उद्भूत ऐसे अपराध जिनके अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
4	श्रीमती किरणसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना औद्योगिक क्षेत्र से उद्भूत मामले।
5	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना सिविल लाइन, अ.जा.क. देवास से उद्भूत मामले
6	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना कोतवाली से उद्भूत मामले।
7	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ देवास	थाना भौरासा, पीपलरावों।
8	सुश्री निकिता पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना सोनकच्छ से उद्भूत मामले।।
9	श्री बुदेसिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द जिला देवास	थाना पीपलरावों एवं मक्सी से उद्भूत मामले।
10	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द जिला देवास	टोंकखुर्द एवं भौरासा से उद्भूत मामले।
11	श्री राकेश कुमार जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली जिला देवास	थाना उदयनगर से उद्भूत मामले।
12	श्रीमती सरिता पारस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली जिला देवास	थाना हाटपीपल्या से उद्भूत मामले।
13	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द जिला देवास	थाना बागली से उद्भूत मामले।

14	श्रीमती नंदिता उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद जिला देवास	थाना सतवास से उद्भूत मामले।
15	श्रीमती सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद जिला देवास	थाना कन्नौद से उद्भूत मामले।
16	श्री कुंदन कछवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद जिला देवास	थाना कॉटाफोड़ से उद्भूत मामले।
17	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना हरणगाँव से उद्भूत मामले।
18	श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना नेमावर से उद्भूत मामले।
19	श्री राजू पन्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना खातेगाँव से उद्भूत मामले।

नोट— कमांक 02 : महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5(क) के अन्तर्गत उल्लेखित विचारणीय अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन अंकित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.	मजस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकारी (आरक्षी केन्द्र)
1.	सुश्री दीक्षा दोहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना बैंक नोट प्रेस, नाहर दरवाजा,
2	सुश्री रश्मि खुराना,	विजयांगज मंडी, महिला थाना, थाना अ.जा.क.
3	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास।	थाना कोतवाली, बरोठा, सिविल लाइन एवं औद्योगिक क्षेत्र, देवास।
4	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ जिला देवास	थाना सोनकच्छ, भौरासा एवं पीपलरावों।
5	श्री बुदेसिंह सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द	थाना टोंकखुर्द, मक्सी, भौरासा एवं पीपलरावों।
6	श्रीमती सरिता पारस,	थाना बागली,
7	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	थाना हाटपीपल्या, उदयनगर

8	श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	कन्नौद
9	श्रीमती सोनाली शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	थाना सतवास एवं कौटाफोड़
10	श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना खातेगाँव
11	श्री राजू पन्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना नेमावर एवं हरणगाँव

नोट-क.-03 :

महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5(क)के अन्तर्गत उल्लेखित एवं पॉक्सो अधिनियम में विचारणीय अपराधों के संबंध में **(मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)** धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित मजिस्ट्रेट को दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कथन अंकित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क.	मजस्ट्रेट का नाम एवं पद	क्षेत्राधिकारी (आरक्षी केन्द्र)
1.	श्रीमती किरणसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	थाना बैंक नोट प्रेस, महिला थाना, नाहर दरवाजा,
2	सुश्री रश्मि खुराना,	थाना कोतवाली, विजयांगज मंडी, थाना अ.जा.क.
3	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास।	थाना सिविल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र एवं बरोठा देवास।
4	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ जिला देवास	थाना सोनकच्छ, भौरासा एवं पीपलरावों।
5	श्री बुदेसिंह सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द	थाना टोंकखुर्द, मक्सी, भौरासा एवं पीपलरावों।
6	श्रीमती सरिता पारस,	थाना बागली,
7	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली	थाना हाटपीपल्या, उदयनगर
8	श्रीमती नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	सतवास, कन्नौद एवं कौटाफोड़
9	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव जिला देवास	थाना खातेगाँव, नेमावर एवं हरणगाँव

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में धारा 164 द.प्र.स. के तहत कथन अभिलिखित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर रिमांड कार्यवाही सम्पन्न करने वाले न्यायालय द्वारा उक्त कथन अभिलिखित किये जावेंगे।

धारा-164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी के मुख्यालय से बाहर रहने या अवकाश पर होने या अन्य किसी कारणवश कथन लेने में असमर्थ होने पर उनका प्रभार, प्रभार अनुसूची क्रमांक-"क" के अनुसार (संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को छोड़कर) माना जावेगा।

प्रभार

क- निम्नलिखित तालिका के प्रथम स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/न्यायालय के रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में निम्नानुसार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ में अंकित मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक दांडिक कार्य संपादित किए जावेंगे :-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम / पद	अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित की दशा में कार्यभारित पीठासीन अधिकारी का नाम / पद			
		कॉलम-1	कॉलम-2	कॉलम-3	कॉलम-4
1	डॉ. रविकांत सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास
2	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
3	सुश्री अंजना यादव, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, जिला देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ. सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
4	सुश्री दीक्षा दोहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
5	कुंवर युवराज सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ. सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास
6	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास
7	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ. सी. देवास	सौरभ जैन, जे.एम. एफ.सी. देवास
8	श्रीमती किरणसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम.एफ.सी.	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री कुंवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास
9	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री नीलेन्द्र तिवारी, जे.एम. एफ.सी. देवास

10	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम. एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास
टोकखुर्द :					
12	श्री बुदेसिंह सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुर्द	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव, जे.एम.एस. सी. टोकखुर्द	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, सोनकच्छ	सुश्री निकिता पवार जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास
13	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुर्द	श्री बुदेसिंहसोलंकी जे.एम.एस.सी. टोकखुर्द	सुश्री निकिता पवार जे.एम.एफ. सी. देवास	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
सोनकच्छ :					
14	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	सुश्री निकिता पवारन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास
15	सुश्री निकिता पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री कुँवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
बागली :					
16	श्री राकेश कुमार जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती सरिता पारस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री सौरभ जैन, जे.एम. एफ.सी. देवास
17	श्रीमती सरिता पारस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	राकेश कुमार जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम. एफ.सी. देवास
18	सुश्री वीणा अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री आयुषी मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री राकेश कुमार जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती सरिता पारस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री कुँवर युवराज सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
19	सुश्री आयुषी मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती सरिता पारस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री राकेश कुमार जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
कन्नौद :					
20	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव

21	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव
22	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	श्री कुंदन कछवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव
23	श्री कुंदन कछवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव
खातेगाँव :					
24	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव	श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगाँव	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगाँव	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद
25	श्री पंकज सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगाँव	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगाँव	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगाँव	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद
26	श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगाँव	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगाँव	श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगाँव	सुश्री नंदिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती सोनाली शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद


ख- किशोर न्याय बोर्ड देवास में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में **निम्नलिखित क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तंभ के मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के न्यायालय के आवश्यक कार्य संपादित किए जावेंगे।**

:: सामान्य निर्देश ::

- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुनवाई/क्षेत्राधिकार के मामलों में यह कार्य विभाजन पत्र प्रभावी नहीं होगा।
- न्यायालयों में पूर्व से विचारण हेतु लंबित प्रकरणों को यह कार्य विभाजन आदेश प्रभावित नहीं करेगा।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **प्रभार सूची क्रमांक-“क”** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य जैसे रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहते हैं, का संपादन किया जावेगा।
- इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत जिन मजिस्ट्रेट को नए थाना/क्षेत्राधिकार आवंटित किए गए हैं उन थानों से संबंधित लंबित रिमाण्ड, सुपुर्दगी एवं अन्य पत्रावली अविलंब संबंधित नए क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को प्रेषित किये जावें।

05. मुख्यालय देवास मे रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के एवं आरक्षी केन्द्र अंकित न होने की दशा में सभी तरह के अपराधों/प्रकरणों के गिरफ्तारी वारंटो/स्थाई गिरफ्तारी वारंटो एवं अपील/रिवीजन पश्चात जो आदेश/निर्देश वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होते हैं उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय देवास में सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास, तहसील न्यायालय सोनकच्छ में कु. स्वाति बजाज, जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय टोंकखुर्द में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय बागली में सुश्री आयुषी मालवीय जे.एम.एफ.सी., तहसील न्यायालय कन्नौद में श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी. एवं तहसील न्यायालय खातेगाँव में श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.स. द्वारा समस्त कार्यवाही की जावेगी।
06. रिमांड ड्यूटी के दौरान विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों के संबंध में प्रथम रिमाण्ड प्रदान किया जा सकेगा।
07. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
08. देवास नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अथवा सी.जे.एम. के निर्देशानुसार संपादित की जावेगी।
09. देवास जिले की तहसील में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
10. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
11. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।
12. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकार्ड के साथ भेजा सुनिश्चित किया जावे।
13. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।
14. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक-1295/सीजे-11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
15. प्रकरण को धारा-325 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।
16. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाए गए प्रभार सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
17. धारा 52-क के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित आरक्षी केंद्रों से उद्भूत धारा 52-क आवेदन पत्र का निराकरण प्रभावी कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार अपनी क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केंद्र का निराकरण करेंगे।
18. श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास स्वयं के थाना क्षेत्रान्तर्गत के अतिरिक्त आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली देवास, थाना सिविल लाइन देवास (म.प्र.) से प्रस्तुत होने वाले धारा 52-क एन. डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे।
19. सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास स्वयं के थाना क्षेत्रान्तर्गत के अतिरिक्त आरक्षी केंद्र औद्योगिक क्षेत्र देवास (म.प्र.) से प्रस्तुत होने वाले धारा 52-क एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र का निराकरण करेंगी।
20. धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिस न्यायालय द्वारा अंतिम भरण पोषण आदेश पारित किया गया है, और वह न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है, तो उक्त आदेश से संबंधित भरण-पोषण वसूली कार्यवाही अन्तर्गत धारा 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता उसी न्यायालय या उसके उत्तरवर्ती न्यायालय में सम्पादित की जावेगी, जिस न्यायालय द्वारा भरण-पोषण का अंतिम आदेश दिया गया है, उक्त न्यायालय के वर्तमान में कार्यरत नहीं होने पर उक्त


कार्यवाही उक्त आरक्षी केन्द्र की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिस आरक्षी केन्द्र से वह विविध प्रकरण उद्भूत हुआ है।



डॉ. रविकान्त सोलंकी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला देवास (म.प्र.)

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित

अनुमोदित,



10.4.24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास